न्यायालयः सेशन न्यायाधीश,बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री अरूण कुमार अग्रवाल-1

R.J.S. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या - 1000/2022

एफ.आई.आर. संख्या - 306/2022

पुलिस थाना - सदर बांसवाडा, जिला बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा - 341,323,326,308,336,भा.द.सं.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 438, दण्ड प्रक्रिया संहिता

01- विश्राम पुत्र मानजी पटेल, आयु 40 वर्ष, निवासी शिवपुरा, पुलिस थाना सदर, बांसवाडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

02- रखीया पुत्र हुका पटेल, आयु 35 वर्ष, निवासी शिवपुरा, पुलिस थाना सदर, बांसवाडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

-प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बांसवाड़ा (राज.)

- अप्रार्थी

उपस्थित :

अधिवक्ता श्री समर पण्ड्या : अभियुक्त ओर से

लोक अभियोजक श्री गिरीश डांगर : राज्य की ओर

<u>आदेश</u> <u>दिनांक 28.11.2022</u>

1- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438, दण्ड प्रक्रिया संहिता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलवाई गई, प्रस्तुत केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.10.2022 परिवादी इन्द्रजीतसिंह ने थाना सदर पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि गांव के पंचों से बातचीत में 05 बिस्वा भूमि मंदिर की छोडते हुए शेष भूमि पर उसके द्वारा जेसीबी मशीन द्वारा कार्य किया जा रहा था तब अभियुक्तगण ने आकर कार्य रूकवाया। दिनांक 02.10.2022 को अभियुक्तगण गांव के अन्य लोगों के साथ आए तथा उक्त भूमि पर जेसीबी से कार्य करने लगे। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर नहीं माने। प्रार्थीगण द्वारा पुलिस में सूचना दी जिस पर पुलिस वालों के कहने पर भी

कार्य नहीं रोका तथा सभी हमसलाह होकर उस पर व उसके भाई पर हमला कर दिया। धुलिया ने पत्थर मारा जो उसकी बाई आंख पर लगा, सीमा व गंगा ने भी पत्थर मारे जो उसके सिर व पसलियों पर लगा। वह गाडी में बैठकर भागने लगा तो देवचंद ने उसकी गाडी पर पत्थर से हमला किया जिससे उसकी गाडी अनियंत्रित होकर गड्डे में गिर गई। दिनेश व बापु ने उसके भाई पर पत्थरों से हमला किया ... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर में पुलिस थाना सदर बांसवाडा द्वारा एफआईआर सं. 306/2022 अन्तर्गत धारा 143,341, 323,326,308,336,427, भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की गई तथा अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

3- बहस सुनी गई, प्रस्तुत केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से बहस में सारतः इस आशय का निवेदन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उन्हें प्रकरण में झूठा अन्तर्वलित किया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण नामजद नहीं हैं। मामले में अन्य आरोपियों से मिलीभगत कर प्रार्थीगण को झूठा फंसाया जा रहा है। प्रार्थीगण अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने एवं न्यायालय के संतुष्टिप्रद जमानत-मुचलके प्रस्तुत करने हेतु तत्पर हैं। प्रार्थीगण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं एवं उन्हें गिरफ्तार किये जाने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। इन आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना की गई।

5- विद्वान लोक अभियोजक ने इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि मामले में अनुसंधान पेंडिंग है एवं अभियुक्तगण अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6- प्रकरण में प्रस्तुत केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मजरूह इन्द्रजीत के शरीर पर 09 चोटें कारित की गई है तथा उसके गंभीर प्रकृति की भी चोटें आई है। पत्रावली पर मजरूह के आई चोटों के फोटोग्राफ्स एवं रक्तरंजित वस्त्र तथा क्षतिग्रस्त कार के फोटोग्राफस भी प्रस्तुत किये गये है। मामले में अनुसंधान चल रहा है एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से अनुसंधान किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों-परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दष्टिगत रखते हुए, लेकिन मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये

बिना, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7- फलत:प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **विश्राम पुत्र मानजी पटेल एवं रखीया पुत्र हुका पटेल** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438, दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा

8-आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा